हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज **अपील संख्या 192/2017** **रामजीलाल बनाम श्रीफल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्ट को कई बार आवाजें दिलवायी गई किन्तु वे उपस्थित नहीं आये। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह प्रकरण रैस्पोडेन्टस की तलबी हेतु मुनासिब कार्यवाही अर्थात सम्मन तलवाना प्रस्तुत किये जाने हेतु काफी लम्बे अर्से से लम्बित है। इस हेतु न्यायालय हाजा द्वारा वकील अपीलान्ट को कई बार अवसर दिया जा चुका है। इतने अवसर दिये जाने के उपरान्त भी वकील अपीलान्ट की ओर से कोई कार्यवाही न किया जाना तथा वक्त सुनवाई उपस्थित नहीं होना उनकी ओर से प्रकरण को आगे न चलाये जाने की दिलचस्पी को जाहिर करता है। जबकि प्रचलित नियमों के अंतर्गत वाद को सिद्ध करने /नियमानुसार न्यायिक प्रक्रियाओं की पूर्ति किये जाने का पूर्णरूपेण दायित्व प्रार्थी का ही रहता है। ऐसी स्थिति में सिविल प्रक्रिया संहिता के आर्डर 9 रूल्स 5 के प्रावधानो के अंतर्गत प्रकरण अदम हाजरी, पैरवी एवं अदम तक्मील में यह प्रकरण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे। संभागीय आयुक्त भरतपुर	